संख्या-370/2026/607/22-2-2025-17(436)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ,दिनांक: 06 अप्रैल, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुनेश पाल पुत्र श्री बब्बू पाल निवासी जनपद-कानपुर नगर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-4375/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-30.01.2025) दिनांक-31-01-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुनेश पाल पुत्र श्री बब्बू पाल, जो नगरा, मजरा सरसौल, थाना-महराजपुर, जनपद-कानपुर नगर का निवासी है। (**प्रथम केस**)- दिनांक 18/19.10.1998 को बंदी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व कट्टे से वारकर भाई की हत्या का बदला लेने के लिये 03 व्यक्तियों की हत्या की घटना कारित की। (**द्वितीय केस**)- दिनांक 15.11.2000 को बंदी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर भाई की हत्या का बदला लेने के लिये तमंचे से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या की घटना कारित की। (**तृतीय केस**)- दिनांक 11.08.2004 को बंदी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सुशील गोड़िया नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को 1. एसटीनं0-58/1999, भा०द०वि० की धारा-147, 148, 302/149, में मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-11 कानपुर नगर के आदेश दिनांक 07.10.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। 2. एसटीनं०-503/2001, भा०द०वि० की धारा-148, 302/149, में मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-12 कानपुर नगर के आदेश दिनांक 23.07.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। 3. एसटीनं0-06/2005, भा०द०वि० की धारा-147, 148, 302, 201 में मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-20 कानपुर नगर के आदेश दिनांक 28.09.2017 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा **(प्रथम केस)** में दिनांक 18.01.2025 तक अपरिहार 18 वर्ष, 02 माह, 26 दिन तथा सपरिहार 23 वर्ष, 06 माह, 11 दिन **(द्वितीय केस)** में-दिनांक 18.01.2025 तक अपरिहार 17 वर्ष, 03 माह, 24 दिन तथा सपरिहार 21 वर्ष, 03 माह, 07 दिन तथा **(तृतीय केस)** में दिनांक 18.01.2025 तक अपरिहार 18 वर्ष, 00 माह, 08 दिन तथा सपरिहार 21 वर्ष, 08 माह, 18 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, सहायक पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि० एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बंदी का अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में नही आने, पुनः अपराध किये जाने की सम्भावना से इंकार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नही होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने प्रथम केस में दिनांक 18/19.10.1998 को बंदी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व कटटे से वारकर भाई की हत्या का बदला लेने के लिये 03 व्यक्तियों की हत्या की घटना कारित की। द्वितीय केस में दिनांक 15.11.2000 को बंदी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर भाई की हत्या का बदला लेने के लिये तमंचे से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या की घटना कारित की तथा तृतीय केस में दिनांक 11.08.2004 को बंदी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सुशील गोड़िया नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। बंदी को तीन वादों में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, सहायक पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, सहायक पुलिस आयुक्त तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मुनेश पाल पुत्र श्री बब्बू पाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुनेश पाल (बन्दी संख्या-27148) पुत्र श्री बब्बू पाल, निवासी जनपद-कानपुर नगर को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-370/2026/607(1)/22-2-2025 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) सं0-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन(क्रिमि0) सं0-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-370/2026/607/22-2-2025-17(436)/2025

दिनांक: 06 अप्रैल, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुनेश पाल पुत्र श्री बब्बू पाल, जो नगरा, मजरा सरसौल, थाना-महराजपुर, जनपद-कानपुर नगर का निवासी है। (**प्रथम केस**)- दिनांक 18/19.10.1998 को बंदी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व कट्टे से वारकर भाई की हत्या का बदला लेने के लिये 03 व्यक्तियों की हत्या की घटना कारित की। (**द्वितीय केस**)- दिनांक 15.11.2000 को बंदी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर भाई की हत्या का बदला लेने के लिये तमंचे से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या की घटना कारित की। (**तृतीय केस**)- दिनांक 11.08.2004 को बंदी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सुशील गोड़िया नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को 1. एसटीनं0-58/1999, भा०द०वि० की धारा-147, 148, 302/149, में मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-11 कानपुर नगर के आदेश दिनांक 07.10.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। 2. एसटीनं०-503/2001, भा०द०वि० की धारा-148, 302/149, में मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-12 कानपुर नगर के आदेश दिनांक 23.07.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। 3. एसटीनं0-06/2005, भा०द०वि० की धारा-147, 148, 302, 201 में मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-20 कानपुर नगर के आदेश दिनांक 28.09.2017 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा **(प्रथम केस)** में दिनांक 18.01.2025 तक अपरिहार 18 वर्ष, 02 माह, 26 दिन तथा सपरिहार 23 वर्ष, 06 माह, 11 दिन **(द्वितीय केस)** में-दिनांक 18.01.2025 तक अपरिहार 17 वर्ष, 03 माह, 24 दिन तथा सपरिहार 21 वर्ष, 03 माह, 07 दिन तथा **(तृतीय केस)** में दिनांक 18.01.2025 तक अपरिहार 18 वर्ष, 00 माह, 08 दिन तथा सपरिहार 21 वर्ष, 08 माह, 18 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, सहायक पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि० एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बंदी का अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में नही आने, पुनः अपराध किये जाने की सम्भावना से इंकार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नही होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने प्रथम केस में दिनांक 18/19.10.1998 को बंदी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व कटटे से वारकर भाई की हत्या का बदला लेने के लिये 03 व्यक्तियों की हत्या की घटना कारित की। द्वितीय केस में दिनांक 15.11.2000 को बंदी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर भाई की हत्या का बदला लेने के लिये तमंचे से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या की घटना कारित की तथा तृतीय केस में दिनांक 11.08.2004 को बंदी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सुशील गोड़िया नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। बंदी को तीन वादों में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, सहायक पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, सहायक पुलिस आयुक्त तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मुनेश पाल पुत्र श्री बब्बू पाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।